

23/2/26

पत्राव पेश ह्रीं वादी वकील उक्थ। प्रतिवादीगण  
की तजवी को नौका याहा गया पूर्व में  
अनेक अवसर दिये जा चुके हैं अन्य  
अवसर दिया जाना उचित नहीं है। अतः  
पत्राव अदम पेटवी ०९२५ के तहत वसी  
स्तर पर खारिज की जाती है। पत्राव  
प्रेसन शुमार होकर दाखिल हफ्तार  
नी।